



कार्यालय आदेश

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में सत्र 2024-25 हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 11 एवं 49(ग) में प्रदत्त प्राविधानों के अर्न्तगत मा० कुलपति जी के आदेशानुसार निम्नानुसार किया जाता है-

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. प्रो० दीपक बाबू, आचार्य, वाणिज्य विभाग | - | कुलानुशासक |
| 2. डॉ० आशुतोष वर्मा, सहयुक्त आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग | - | सहायक कुलानुशासक |
| 3. डॉ० रेनू त्रिपाठी, सहा०आचार्य, हिन्दी विभाग | - | सहायक कुलानुशासक |
| 4. डॉ० शिवम शुक्ला, सहा०आचार्य, वाणिज्य विभाग | - | सहायक कुलानुशासक |
| 5. डॉ० अमित कुमार साहनी, सहा०आचार्य, अंग्रेजी विभाग | - | सहायक कुलानुशासक |
| 6. डॉ० कहकशा खान, सहा०आचार्य, एम०बी०ए० विभाग | - | सहायक कुलानुशासक |
| 7. डॉ० प्रज्ञेश नाथ त्रिपाठी, एन०ओ० एन०सी०सी० पदेन सदस्य | - | सहायक कुलानुशासक |

उपरोक्तानुसार नामित कुलानुशासक तथा सहायक कुलानुशासक एक वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे तथा पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे। बशर्ते कि जब तक किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक कुलानुशासक अथवा सहायक कुलानुशासक अपना कार्य करते रहेंगे।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: 1310 / सा०प्र० / सि०वि०वि० / 2024

दिनांक: 12/06/2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त सम्बन्धित सदस्य।
- 2- समस्त अधिष्ठातागण (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय)।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष परिसर।
- 4- वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 5- उपकुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 6- मीडिया एवं जनसम्पर्क अधिकारी को स्थानी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- निजी सचिव, कुलपति, मा०कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- 8- सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर।